न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/4186/2002/सवाई माधोपुर

1— श्रीमति सरस्वती पत्नि कन्हैया
2— रामजीलाल पुत्र कन्हैयालाल
3— राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल
4— रामअवतार पुत्र कन्हैयालाल
5— श्यामलाल पुत्र कन्हैयालाल
समस्त जाति ब्राहमण निवासी ऐन्डा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
6— श्रीमती सम्पत देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी ओलवाडा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
7— श्रीमती द्रोपदी देवी पत्नि श्री जगदीश जाति ब्राहमण निवासी अमरगढ तहसील सपोटरा जिला करौली।

पुत्रान वालिया जाति भील निवासी पाडलावडकिया तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा।

............अपीलार्थी

बनाम

1— श्री चन्द
2— श्री मनफूल
3— श्री हरफूल
4— श्री फूल
5— श्री रामजी लाल
6— श्री रामलाल
समस्त पुत्रान श्री गोपाल मीणा निवासी ऐन्डा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

............प्रत्यर्थीगण

खण्ड—पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री मुकुट बिहारी, अभिभाषक अपीलार्थी के ब्रीफ होल्डर श्री दिनेश कुमार
श्री उमेश कुमार, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

दिनांक 19—9—25

निर्णय

1— यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1—8—02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलांट ने एक राजस्व वाद विरूद्ध रेस्पोडेंट्स अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी बाबत् पेश कर रेस्पोडेंट प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की डिक्री पारित करने का निवेदन किया। परीक्षण न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर ने निर्णय व डिक्री दिनांक 31—7—99 द्वारा वादी का वाद डिक्री कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। जिससे असन्तुष्ट हो कर रेस्पोडेंट्स ने प्रथम अपील, राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहां प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 1—8—02 द्वारा स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजी अपीलार्थी की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि है तथा नामांतरकरण सं. 56 दिनांक 7—9—58 को अपीलार्थी के पिता कन्हैयालाल ब्राहमण के नाम स्वीकार किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा वादीगण की आराजी में काश्त नहीं करने देने की स्थिति में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट को वादीगण के कब्जेकाश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद किया था। विवादित आराजी पर संवत् 2009 से वादीगण/अपीलांट का कब्जाकाश्त साबित है। अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में यह कथन किया गया कि छीतर राध्या का लडका है, जिसे राध्या ने अपने जीवनकाल में गोद लिया, यह कथन असत्य एवं भ्रामक है। छीतर लाऔलाद फौत हुआ तथा दिनांक 7—9—58 को विवादित आराजी अपीलांट के नाम दर्ज की गई। विवादित भूमि श्री छीतर के लाऔलाद फौत होने से सिवायचक दर्ज हो गई थी तथा नामांतरकरण सं. 56 दिनांक 14—8—58 से उक्त भूमि

अपीलांट के पिता कन्हैयालाल के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये थे। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों व दस्तावेजों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर वादी अपीलांट का वाद सही रूप से डिक्री किया था। किंतु अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर अपील मनमाने तौर पर स्वीकार की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स द्वारा बहस से पूर्व दिनांक 16.5.2002 को फर्द दस्तावेजात के साथ प्रकरण से सम्बंधित अहम दस्तावेजात प्रस्तुत किये थे जिनका तनिक भी अवलोकन नहीं किया गया। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर कानूनन तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की रूलिंग्स आर.आर.टी 2001 सुप्रीम कोर्ट पेंज न. 603 एवं आर.आर.टी 2022 सुप्रीम कोर्ट पेंज नं. 866 महत्त्वपूर्ण है। अपीलीय न्यायालय को मुंतकिली प्रार्थना पत्र का संज्ञान था कि माननीय राजस्व मण्डल में लम्बित है, जिसमें टिप्पणी तलब की गई थी फिर भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने स्थगन नहीं होने का हवाला देते हुए मात्र एक पक्ष को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से अपील स्वीकर की है जबकि मुंतकिली प्रार्थना पत्र के लम्बित होने की दशा में उन्हें निर्णय पारित नहीं करना चाहिए था एवं उपरोक्त निर्णय अपीलांट्स के विरूद्ध एक तरफा में पारित किया गया है, जिसके बारे में अपीलीय न्यायालय के निर्णय के पेज संख्या 3 पर पैरा संख्या 2 में स्वयं ने माना है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एकतरफा मे किये गये थे। फिर भी एक तरफा में अपील स्वीकार कर ली गयी जबकि प्रकरण पुनः रिमाण्ड कर साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना चाहिये था। लाऔलाद खातेदार की भूमि सिवायचक घोषित हो जाती है तथा उस पर विधिवत किसी भी जाति के कृषक के नाम दर्ज हो जाती है तो ऐसे मामलों में धारा 42 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 1–8–02 विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे एवं परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने आरबीजे 2001(8) पेज 603, आरआरटी 2022–II पेज 866 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये, जिनका ससम्मान अवलोकन व अध्ययन किया।

4– विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय वाद को डिक्री किया था। विवादित आराजी अनुसूचित जनजाति के सदस्य की है। खतौनी बंदोबस्त संवत् 2004 से 23 में विवादित आराजी राध्या वल्द श्योबक्स मीना के नाम दर्ज रिकार्ड थी। अनुसूचित जनजाति के

व्यक्ति की आराजी सवर्ण जाति के व्यक्ति के नाम हस्तांतरित नहीं हो सकती। विवादित आराजी नामांतरकरण सं. 56 से अपीलार्थी के नाम दर्ज हो गई। विवादित आराजी अनुसूचित जनजाति की होना साबित है। अनुसूचित जनजाति की आराजी पर एडवर्स पजेशन का नियम लागू नहीं होता। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद मनमाने तौर पर डिक्री किया था किंतु अपीलीय न्यायालय ने रिकोर्ड पर उपलब्ध समस्त तथ्यों, साक्ष्यों व दस्तावेजातों की विस्तृत विवेचना करते हुये वादी रेस्पोडेंट की अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से यह अपील खारिज की जावे।

5— विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया।

6— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 31—7—99 द्वारा डिक्री कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील, प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 1—8—02 द्वारा स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने नकल जमाबंदी संवत् 2043 से 2046 वाके ग्राम एण्डा के आधार पर विवादित आराजी खसरा नंबर 66 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा वादी अपीलार्थी की खातेदारी की मानी तथा वादी के फौत होने पर वादी के कायम मुकामों के नाम नामांतरकरण सं. 15 दिनांक 1—8—98 स्वीकार होकर जमाबंदी में नोट अंकित होने से वादी का वाद डिक्री किया है। जबकि अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में निष्कर्ष अंकित किया है कि विवादित आराजी मूल खातेदार राध्या पुत्र श्योबक्स के नाम दर्ज थी। उसके बाद उसके पुत्र छीतर व उसके दत्तक पुत्र गोपाल/भोरया, छीतर/राध्या के नाम खातेदारी का इंद्राज किया गया। मूल खातेदार राध्या की खातेदारी की भूमि को बिना उसे सुने सिवायचक दर्ज किया गया। मूल खातेदार राध्या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति था। विवादित आराजी नकल खतौनी बंदोबस्त मौजा एण्डा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर संवत् 2004 से 23 के अनुसार राध्या वल्द श्योबक्स कौम मीना सा. देह की खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी राध्या के बाद उसके पुत्र छीतर व उसके दत्तक पुत्र गोपाल/भोरया, छीतर/राध्या के नाम खातेदारी का इंद्राज किया

गया। तहसीलदार द्वारा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर जरिये नामांतरकरण सं. 56 दिनांक 14–8–58 को कब्जे के आधार पर अपीलार्थी के पिता कन्हैयालाल के नाम विधि विरूद्ध दर्ज की गई है। विवादित आराजी प्रारम्भ से ही अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की होना निर्विवाद तथ्य है तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर अनुसूचित जनजाति के सदस्य की आराजी सवर्ण जाति के व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय ने नामांतरकरण सं. 56 दिनांक 14–8–58 व नामांतरकरण सं. 58 दिनांक 14–9–58 जो सरपंच द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर स्वीकृत किये गये उसे मूल खातेदार राध्या वल्द श्योबक्श के अधिकारों के विरूद्ध शून्य व निष्प्रभावी माना है। विचारण न्यायालय में गोपाल पुत्र भोरया ने दिनांक 13–1–92 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावा गोपाल बनाम कन्हैयालाल तलब करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थीगण द्वारा विचारण न्यायालये में जवाबदावा व काउंटर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया। विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण को विधिवत् जवाबदावा/साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया तथा एकपक्षीय बहस के आधार पर वादीगण प्रत्यर्थीगण का वाद डिक्री किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि सहायक भू प्रबंध अधिकारी टोंक द्वारा दिनांक 14–8–58 को कन्या वल्द अमरा कौम ब्रहामण का विवादित आराजी पर वर्ष 1955 से काश्त करने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कन्या पुत्र अमरा ब्राहमण को विवादित आराजी पर हकूक खातेदारी मंजुर किया गया जिसकी पालना में नामांतरकरण सं. 56 अपीलार्थी के पिता कन्या वल्द अमरा के नाम स्वीकृत किया गया। खतौनी बंदोबस्त संवत् 2004–2023 के पश्चात् का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे साबित होता हो कि खातेदार राध्या पुत्र श्योबक्श के पश्चात् विवादित आराजी छीतर या गोपाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही हो। उक्त तथ्य दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होते हुये भी राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने गोपाल के वारिसों को विवादित आराजी का खातेदार विधि विरूद्ध घोषित किया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–7–99 एकपक्षीय होने एंव न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 1–8–2002 दस्तावेजी/अभिलेखीय साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाकर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु न्यायालय उपजिला कलेक्टर/उपखंड अधिकारी सवाई माधोपुर को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7— परिणामतः हस्तगत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 31—7—99 एंव न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर का निर्णय व डिकी दिनांक 1—8—2002 विधिसम्मत् नहीं होने से खारिज किये जाते है तथा प्रकरण न्यायालय उपजिला कलेक्टर/उपखंड अधिकारी सवाई माधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई, जवाबदावा एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुये नियमानुसार दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम कर पुनः नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष